# कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,एटा।

प्रशासनिक आदेश संख्या–        /2021, दिनांकित नवम्बर, 01, 2021

## आदेश

श्रीमान जिला जज, एटा द्वारा अपने पूर्व पारित प्रशासनिक आदेश संख्या–03/2021 दिनांकित 06.1.2021 के अंतर्गत दिनॉक 15.08.2021 स्वतंत्रता दिवस (रविवार) की एवज में दिनॉक 19.11.2021 का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, परन्तु श्रीमान जिला जज, एटा द्वारा दिनॉक 19.11.2021 को पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनॉक 06.11.2021 (भैया दूज) का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

अतः अधिवक्तागण व वादकारीगण के हित में परिवार न्याायलय एटा हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व पारित प्रशासनिक आदेश सं0–02/2021 दिनांकित 05.10.2021 के अंतर्गत पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश दिनांकित 19.11.2021 को निरस्त करते हुए दिनांक 06.11.2021 का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। दिनांक 19.11.2021 को परिवार न्यायालय/कार्यालय, एटा यथावत् खुलेगा।

तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय को सूचना प्रेषित की जाये। इस आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट एटा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा, अधीक्षक जिला कारागार एटा, कलक्ट्रेट बार संघ,एटा एवं दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए कार्यालय के सूचना पट पर भी चस्पा कर, जनपद न्यायालय, एटा की आधिकारिक वैबसाइट पर अपलोड किया जाये।

01.11.2021

(सुनील कुमार सिंह–I),
प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय,
एटा।
01.11.2021